उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 1 1-15 जनवरी 2024 ₹ 20/-

अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह का उर्दू मीडिया में विरोध

- श्रमजीवी एक्सप्रेस धमाका मामले में दो दोषियों को मौत की सजा
- प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर मालदीव के तीन मंत्री निलंबित
- ईरान में हुए आतंकी हमलों में 200 से अधिक लोगों की मौत
- पाकिस्तान समर्थक तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह का उर्दू मीडिया में विरोध 04
श्रमजीवी एक्सप्रेस धमाका मामले में दो दोषियों को मौत की सजा 09
उपासना स्थलों और शिक्षण संस्थानों की आड़ में मुसलमानों को भड़काने का प्रयास 10
दूसरे निकाह के बावजूद तलाकशुदा पत्नी पूर्व पति से गुजारा भत्ता की हकदार 12
हज के लिए पौने दो लाख यात्रियों का कोटा तय 14
पाकिस्तान समर्थक तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध 15
बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा 16

विश्व

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर मालदीव के तीन मंत्री निलंबित 18
शेख हसीना पांचवीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री निर्वाचित 21
डेनमार्क में हमास की खूनी साजिश विफल 23
चीन से वापसी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने दिखाया अपना असली रंग 24
हमास समर्थकों की सूचना देने पर एक करोड़ डॉलर का इनाम 27

पश्चिम एशिया

ईरान में हुए आतंकी हमलों में 200 से अधिक लोगों की मौत 28
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा हूती विद्रोहियों पर हमले तेज 29
इजरायली बमबारी में हमास के उप प्रमुख की मौत 31
संयुक्त अरब अमीरात इजरायल के साथ संबंध बरकरार रखेगा 32
तुर्किये में इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में दर्जनों गिरफ्तार 33
इजरायली सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बेंजामिन नेतन्याहू को झटका 34

सारांश

भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग और कुछ कथित सेक्युलर पार्टियों के नेताओं द्वारा अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का विरोध किया जा रहा है। उर्दू के अखबार इस संबंध में लगातार संपादकीय प्रकाशित करके केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अपना निशाना बना रहे हैं। उर्दू के ये अखबार राम मंदिर उद्घाटन समारोह के विरोध से संबंधित समाचारों को बढ़ा-चढ़ा कर अपने पाठकों के सामने परोस रहे हैं। मुस्लिम नेता राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान मुसलमान अपने घरों में रहें और बाहर न निकलें, क्योंकि इससे उनकी जान व माल की क्षति हो सकती है।

सऊदी अरब और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के तहत इस वर्ष पौने दो लाख भारतीय मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश मंत्रालय और केंद्रीय हज कमेटी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी अरब में होने वाले विश्व हज और उमरा सम्मेलन में भाग लिया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सऊदी अरब के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों में मजबूती आई है। स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के शहर मदीना स्थित अनेक पवित्र स्थानों की भी यात्रा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सऊदी सरकार द्वारा भारतीय हज यात्रियों के लिए किए गए प्रबंधों का भी बारिकी से अवलोकन किया।

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करना मालदीव के तीन मंत्रियों को भारी पड़ा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इन तीनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लक्षद्वीप यात्रा की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए थे। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय पर्यटकों से यह अनुरोध किया था कि वे लक्षद्वीप को भी घूमने वाली सूची में रखें। इस पर मालदीव के तीन उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए यह आरोप लगाया कि भारत सरकार लक्षद्वीप को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चीन के साथ संबंधों में मजबूती आ रही है। हाल ही में मोइज्जू ने चीन का दौरा किया और दोनों देशों की सरकारों के बीच 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी घोषणा की गई। ताजा समाचारों के अनुसार चीन मालदीव में भारी पूंजी निवेश करने की तैयारी कर रहा है। इससे साफ है कि चीन ने श्रीलंका के बाद अब मालदीव को भी अपने कर्जे के जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी है।

शेख हसीना पांचवीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। बांग्लादेश के दो प्रमुख विपक्षी दलों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी ने इन चुनावों का बहिष्कार किया था। इसके बावजूद इन चुनावों में 28 छोटे दलों और 450 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग लिया। हालांकि, विदेशी मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश में आम चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में नहीं हुए हैं। उन्होंने इन चुनावों को एकपक्षीय चुनाव करार दिया है।

इस्लाम की एकता और भाईचारे के खोखले दावों की अब खुलेआम धज्जियां उड़ने लगी हैं। इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदाय शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून की होली खेल रहे हैं। ईरान एक शिया बहुल देश है। हाल ही में ईरान के केरमान नगर में हुए दो बम धमाकों में 200 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए। इन धमाकों की जिम्मेवारी कुख्यात इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। यह सुन्नी संगठन अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भी शियाओं के खून की होली खेल रहा है। हाल ही में तुर्किये ने इस खूनी संगठन से संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शुरुआत की है और सैकड़ों संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया गया है।

राष्ट्रीय

अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह का उर्दू मीडिया में विरोध

अयोध्या स्थित राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की चर्चा गरम होते ही अधिकांश कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं और उनके द्वारा संचालित उर्दू अखबारों ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में देशभर में एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इस समारोह के विरोध से संबंधित समाचारों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों मंदिर का उद्घाटन इंसाफ और सेक्युलरिज्म का कत्ल है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य मुसलमानों पर सरासर जुल्म है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसके साथ ही इसका भी कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि भगवान श्रीराम इसी विशेष स्थान पर पैदा हुए होंगे। कानून और न्याय से हटकर अदालत ने बहुसंख्यक समाज के एक वर्ग की आस्था के आधार पर यह फैसला दिया है। हालांकि, मुसलमानों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करते हुए इस मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर ली है। फिर भी अदालत के इस फैसले ने मुसलमानों के दिलों पर गहरी चोट पहुंचाई है। रहमानी ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से देशभर में इस मंदिर का प्रचार करना मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के इस गैर-सेक्युलर व गैर-लोकतांत्रिक रवैये की सख्त निंदा करता है।

रोजनामा सहारा (7 जनवरी) के अनुसार जमीयत उलेमा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में सरकार की सक्रिय भागीदारी को भारतीय संविधान पर कुठाराघात और अन्याय पर आधारित बताया गया है। इस प्रस्ताव

में सरकार और उसके विभागों से अपील की गई है कि वे इस पक्षपातपूर्ण नीति से दूर रहें। इसके साथ ही देश के मुसलमानों से भी अपील की गई है कि वे किसी उत्तेजना में न आएं और शांति बनाए रखें।

इंकलाब (7 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से अपील की है कि वे 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक घर से बाहर न निकलें, क्योंकि उनकी जान व माल को खतरा हो सकता है। जबकि जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष प्रो. मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का राजनीतिक प्रचार और चुनावी लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि यह कोई धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भाजपा का चुनावी कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक रैली है। उन्होंने कहा कि देश संवैधानिक लोकतंत्र से बहुसंख्यकवाद की तानाशाही की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मंदिर का उद्घाटन हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। उन्होंने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है और मुसलमानों से धैर्य से काम लेने की अपील की है।

अंग्रेजी अखबार **हिंदू** (29 दिसंबर) के अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को भाजपा का चुनावी हथकंडा बताया है और लोगों से अपील की है कि वे इस झांसे में न आएं। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग की राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार समिति ने पारित किया है। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय महासचिव पी. के. कुन्हालीकुट्टी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि पार्टी राम मंदिर को लेकर अन्य दलों द्वारा अपनाए गए रूख पर न तो कोई टिप्पणी करेगी और न ही उन्हें कोई सलाह देगी।

उर्दू टाइम्स (15 जनवरी) के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह कोई धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि भाजपा की चुनावी रैली है और हम इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन धर्मगुरुओं को करना चाहिए और राजनीतिक नेताओं को इससे दूर रहना चाहिए। जबकि मोदी सरकार में राजनीतिक नेता ही धार्मिक पेशवा बन बैठे हैं, ताकि वे मासूम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खेलकर उनका राजनीतिक शोषण कर सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम को भाजपा का राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा है कि इससे जनता को दूर रहना चाहिए।

उर्दू टाइम्स (14 जनवरी) के अनुसार बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि वह राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। ऐसा ही फैसला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया है। इससे

पहले विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि इन दोनों नेताओं को भी इस समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया गया है।

रोजनामा सहारा (6 जनवरी) के अनुसार एक मुस्लिम नेता हाफिज मोहम्मद जावेद ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर मुसलमानों में कोई भय का वातावरण नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए मुसलमानों को भय के वातावरण में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों को बचना चाहिए और कोई भावनात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए।

इंकलाब (15 जनवरी) ने कहा है कि सिखों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र अकाल तख्त ने इस समारोह में भाग लेने के न्योते को ठुकरा दिया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता अंग्रेज सिंह ने इस समाचार की पुष्टि की है।

सियासत (13 जनवरी) ने कहा है कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास सुनियोजित तरीके से कर रही है। हालांकि, यह धार्मिक मामला है, मगर भाजपा ने राजनीतिक रंग देकर इसे अपना बंधक बना लिया है। जो राजनीतिक पार्टियां इस समारोह में हिस्सा नहीं ले रही हैं, भाजपा उन्हें अपना निशाना बना रही है और उन्हें हिंदू विरोधी घोषित कर रही है। समाचारपत्र का कहना है कि चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि यह धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि भाजपा का राजनीतिक समारोह बन गया है और वे भाजपा और आरएसएस के इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे।

इत्तेमाद (2 जनवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि राम मंदिर के सहारे सत्ता पर काबिज होने वाली भाजपा ने 2024 के चुनाव से पहले इस मामले पर फिर से राजनीति शुरू कर दी है। 23 नवंबर को मथुरा में मीराबाई की जयंती समारोह में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जल्द ही मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन होंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का दौरा किया था और वहां के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, जिसका गोदी मीडिया ने भरपूर प्रचार किया। इससे प्रधानमंत्री ने अपने मतदाताओं को यह संदेश दिया है कि भविष्य में भी अयोध्या का मुद्दा उनके एजेंडे में शामिल रहेगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अनेक बार उत्तर प्रदेश का दौरा करके इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर चुके हैं। समाचारपत्र का कहना है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राम मंदिर एक बात है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक अभियान चलाना दूसरी बात है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को राजनीतिक रंग दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा आने वाले चुनाव में श्रीराम को अपने उम्मीदवार के रूप में उतार रही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए भगवान राम की मार्केटिंग कर रही है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी चुनाव में राम मंदिर भाजपा का मुख्य एजेंडा होगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कांग्रेस द्वारा अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि अयोध्या आंदोलन को उछालने में परोक्ष रूप से कांग्रेस का भी बड़ा हाथ था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में कांग्रेस के हिंदूवादी गुट ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने और राम मंदिर का शिलान्यास कराने का जो फैसला किया था, उससे राम मंदिर आंदोलन को एक नया मोड़ मिला। बाद में भाजपा ने इसका राजनीतिक लाभ उठाया। समाचारपत्र ने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अयोध्या में जो समारोह हो रहा है, वह आरएसएस का समारोह है और कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। समाचारपत्र ने सुझाव दिया है कि कांग्रेस को अपने कदम पर अडिग रहना चाहिए।

हमारा समाज (13 जनवरी) ने अपने संपादकीय में शंकाराचार्यों द्वारा राम मंदिर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होने से देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, लेकिन इसकी फिक्र न तो भाजपा को है और न ही हिंदुत्व के अन्य ठेकेदारों को। भाजपा राम मंदिर की आड़ में फिर से सत्ता में आने का रास्ता तलाश चुकी है और वह इसे बदलने के लिए तैयार नहीं है।

हमारा समाज (12 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन पर खूब राजनीति हो रही है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांगेस के भाग न लेने के फैसले पर भाजपा पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। शासक पार्टी द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि जो पार्टी इस समारोह में भाग नहीं लेगी, वह हिंदू विरोधी है।

उर्दू टाइम्स (14 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किसी शंकराचार्य द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन शायद चारों शंकराचार्यों से भी अधिक बड़े हिंदू धार्मिक नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसलिए उनके हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसी को देखते हुए पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सहित चारों शंकराचार्यों ने इस समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। वे समझ रहे हैं कि जिस तरह से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का मामला विशुद्ध रूप से राजनीतिक था, ठीक उसी तरह से अब राम मंदिर का उद्घाटन भी राजनीतिक बन गया है। समाचारपत्र का कहना है कि यह हिंदू आस्था का अपमान है। अगर हिंदू और राम भक्त इसे समझ लें, तो उन्हें आने वाले चुनाव में समझाने की जरूरत नहीं होगी। समाचारपत्र ने अपील की है कि हिंदू भाईयों को होश से काम लेना चाहिए और धर्म को राजनीति की भेंट चढ़ने से रोकना चाहिए।

रोजनामा सहारा (8 जनवरी) ने अपने संपादकीय में अयोध्या के धार्मिक समारोह का प्रचार सरकारी खजाने से करने की आलोचना की है और इसे सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान की भावना के विपरीत बताया है।

रोजनामा सहारा (9 जनवरी) ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को हिंदू राष्ट्र के निर्माण की ओर एक निर्णायक कदम बताया है।

उर्दू टाइम्स (11 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा सत्ता में आने के लिए चंडूखाने में बैठकर देश के नए इतिहास की रचना कर रही है। समाचारपत्र ने राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण को ऐसे ही चंडूखाने की एक गप्प बताया है और कहा है कि भाजपा 1988 से लेकर आज तक इसी झूठ के बल पर सत्ता प्राप्त करती रही है और वह अब भी वही कारगर नुस्खा इस्तेमाल कर रही है।

उर्दू टाइम्स (13 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो गया है और इसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। हालांकि, मंदिर विशुद्ध रूप से एक धार्मिक मामला है, मगर इसकी आड़ में भाजपा अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। समाचारपत्र ने मुसलमानों को सुझाव दिया है कि मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्हें पूरी सतर्कता के साथ काम करना चाहिए और अपने-अपने घरों में रहना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुसलमानों को राम मंदिर पर न तो कोई टिप्पणी करनी चाहिए और न ही किसी से इस मुद्दे पर उलझना चाहिए। मुसलमानों के धार्मिक नेताओं को भी टेलीविजन पर इस कार्यक्रम से संबंधित किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए।

अवधनामा (12 जनवरी) ने एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को भाजपा का एक खेल बताया है। लेख में इस बात पर भी हैरानी प्रकट की गई है कि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है

और इस संबंध में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि हिंदू शंकराचार्यों ने इसमें भाग लेने से इंकार कर दिया है। समाचारपत्र का कहना है कि इस अधूरे मंदिर का उद्घाटन एक सोची-समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि भाजपा आगामी चुनावों में सत्ता में आने के लिए बहुसंख्यक समाज के वोटों को बटोर सके। समाचारपत्र ने इसे संघ परिवार की घिनौनी साजिश बताया है और मुसलमानों को मश्वरा दिया है कि वे किसी उत्तेजना में न आएं, क्योंकि उनकी एक भी गलत हरकत देश के मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

सियासत (2 जनवरी) के अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की आड़ में आरएसएस देश में सांप्रदायिक सद्भावना के माहौल को तबाह करने का प्रयास कर रहा है। संघ के एक वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से अपील की है कि वे 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में 'श्री राम जय राम जय जय राम' का जाप करते हुए अपने हिंदू भाईयों के साथ सद्भावना व्यक्त करें। इंद्रेश कुमार का यह बयान इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है और इस मकड़जाल में देश के मुसलमानों को नहीं फंसना चाहिए।

श्रमजीवी एक्सप्रेस धमाका मामले में दो दोषियों को मौत की सजा

रोजनामा सहारा (4 जनवरी) के अनुसार जौनपुर के सत्र न्यायालय ने श्रमजीवी एक्सप्रेस बम धमाका के दो दोषियों हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को फांसी की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि हिलालुद्दीन बांग्लादेश का मूल निवासी है। जबकि नफीकुल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इन दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 28 जुलाई 2005 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित एक रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में एक धमाका हुआ था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे और 62 घायल हुए थे। यह ट्रेन पटना से दिल्ली जा रही थी। ट्रेन के गार्ड जफर अली की शिकायत पर जीआरपी थाने में एक केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इस घटना की जांच की थी। इसके बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि ये दोनों आरोपी 2016 से हैदराबाद की एक जेल में बंद थे। इस केस का फैसला सुनने के लिए जौनपुर की अदालत में इन्हें तलब किया गया था। सरकारी वकील ने इन दोनों आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि इस मामले के दो अन्य दोषी आलमगीर और ओबैदुर्रहमान को पहले ही मौत की सजा दी जा चुकी है। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई थी कि बांग्लादेशी नागरिक रोनी उर्फ आलमगीर ने ट्रेन के डिब्बे में बम रखा था, जिसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ओबैदुर्रहमान ने बनाया था। अदालत ने इन दोनों पर दस लाख का जुर्माना भी लगाया था। सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ इन दोनों आतंकियों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी, जो अभी अदालत में विचाराधीन है। पुलिस ने मुकदमे के दौरान यह भी दावा किया था कि इस धमाके का मास्टरमाइंड गुलाम रजदानी उर्फ याह्या पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया था।

उर्दू टाइम्स (10 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक आरोपी आमस अहमद उर्फ फराज को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। जबकि दूसरे आरोपी अब्दुल समद मलिक ने पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। उत्तर प्रदेश एटीएस के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इन छात्रों ने कुख्यात इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस का एक मॉड्यूल तैयार किया था, जिसमें लगभग एक दर्जन लोगों को शामिल किया गया था। इनमें से सात लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज के रहने वाले 22 वर्षीय आमस अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीए पास किया था और पिछले साल तक वह वहां पर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। जबकि संभल का रहने वाला 25 वर्षीय अब्दुल समद मलिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सोशल वर्क में एमए की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में संदिग्ध धनराशि, बम बनाने का उपकरण और उससे संबंधित दस्तावेजें भी बरामद की थीं। इस गिरोह का सुराग पुणे में दो व्यक्तियो की गिरफ्तारी के बाद मिला था। ■

उपासना स्थलों और शिक्षण संस्थानों की आड़ में मुसलमानों को भड़काने का प्रयास

रोजनामा सहारा (4 जनवरी) के अनुसार दिल्ली के रानी झांसी रोड़ पर स्थित प्राचीन दरगाह मामू-भांजे और उसके समीप स्थित अनेक मजारों को आधी रात में पुलिस की निगरानी में ध्वस्त कर दिया गया है। मामू-भांजे की दरगाह 250 साल पुरानी बताई जाती है। समाचारपत्र ने यह स्वीकार किया है कि उसके समीप स्थित पिप्लेश्वर मंदिर को भी ध्वस्त किया गया है।

इंकलाब (5 जनवरी) के अनुसार यह दरगाह वक्फ की उन 123 संपत्तियों में शामिल है, जिसका मामला उच्च न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन है और अदालत इस संदर्भ में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश भी दे चुकी है। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि वक्फ बोर्ड ने इस मामले में केंद्र को तो पार्टी बनाया था, मगर जिस एजेंसी पीडबल्यूडी ने इस मजार को तोड़ा है उसे पार्टी नहीं बनाया गया था। यह वक्फ बोर्ड द्वारा जानबूझकर की गई एक त्रुटि थी।

रोजनामा सहारा (7 जनवरी) ने यह दावा किया है कि दिल्ली में मस्जिदों और मजारों पर पीडबल्यूडी और एनडीएमसी की वक्र दृष्टि बनी हुई है और किसी न किसी बहाने से उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 जनवरी) ने आरोप लगाया है कि मुंबई के समीप घाटकोपर में सड़क चौड़ीकरण की आड़ में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस मस्जिद का मामला भी अदालत में विचाराधीन है और अदालत ने इस पर स्थगन आदेश जारी कर रखा है। घाटकोपर की यह मस्जिद सर्वोदय अस्पताल के पीछे कई दशक पूर्व बनाई गई थी, जिसमें एक मदरसा गुलशन अहमद रजा भी चलाया जा रहा है। मस्जिद प्रबंध समिति के एक सदस्य ने बताया कि नगरपालिका समिति गोलीबार रोड पर एक पुल निर्माण हेतु 2018 से इस मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही थी। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन है।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 जनवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत किया जा रहा है। हाल ही

में घाटकोपर में जिस तरह से एक मस्जिद को गिराया गया है, वह इसका ठोस प्रमाण है। इसके अतिरिक्त दिल्ली की एक ऐतिहासिक मस्जिद सुनहरी बाग मस्जिद को भी गिराने की तैयारी की जा रही है। यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। समाचारपत्र ने अपील की है कि देश के मुस्लिम नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर मिल बैठकर इस अभियान को विफल बनाने का कोई हल खोजना चाहिए।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (5 जनवरी) के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद की गरिमा को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के कल्याण नगर में स्थित हाजी अब्दुल रहमान शाह उर्फ हाजी मलंग दरगाह के संवेदनशील मामले को उठाते हुए इस दरगाह को मलंगगढ़ बताया है और इसे मुक्त करवाने की इच्छा व्यक्त की है। इस दरगाह का वार्षिक उर्स 14 फरवरी से शुरू होगा। प्रत्येक वर्ष शिवसेना के लोग इस मामले को उछालते हैं और इस बार उसमें और भी तेजी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिंदे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मलंगगढ़ की मुक्ति की भावना मेरे दिल में भी है और मैं इसे हर कीमत पर पूरा करूंगा।

गौरतलब है कि हिंदू संगठन हाजी मलंग दरगाह को योगी मच्छिंद्रनाथ की समाधि करार देते हैं और इसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग करते रहे हैं। एकनाथ शिंदे द्वारा इस मुद्दे को फिर से हवा देने के कारण दरगाह कमेटी ने उर्स के अवसर पर राज्य सरकार से विशेष सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। कल्याण के दक्षिण में स्थित इस दरगाह पर दोनों संप्रदाय दावा करते आ रहे हैं। इसके ट्रस्ट में दोनों संप्रदाय के लोग शामिल हैं। ट्रस्ट का दावा है कि यह दरगाह 800 साल पुरानी है। जबकि दक्षिणपंथी संगठन इसे एक हिंदू योगी की समाधि बताते हैं। यह विवाद अदालतों में विचाराधीन है। हाजी मलंग दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष नासिर खान का दावा है कि 1882 में प्रकाशित 'बॉम्बे प्रेसीडेंसी गजेटियर' में कहा गया है कि यमन से हाजी अब्दुल रहमान भारत आए थे और इन पहाड़ियों में आबाद हो गए थे। वहां के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया था। बाबा हाजी मलंग और मां फातिमा दोनों की कब्रें दरगाह परिसर में मौजूद हैं। वर्तमान ढांचा 12वीं शताब्दी का है।

तासीर (7 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अनेक दरगाहों और मस्जिदों की तरह हाजी मलंग दरगाह को भी विवादित बना दिया गया है। दरगाह के न्यासियों का कहना है कि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है।

उर्दू टाइम्स (5 जनवरी) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि चुनाव नजदीक आते ही भगवा ब्रिगेड फिर से सक्रिय हो गया है और शिवसेना ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरगाह के न्यासी केतकर परिवार ने इसे मुस्लिम दरगाह बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि शिंदे यह भूल गए हैं कि वे एक जिम्मेवार पद पर हैं। उन्हें इस तरह के विवादित मुद्दों पर बयान देने से बचना चाहिए। गौरतलब है कि इस मुद्दे को सबसे पहले शिवसेना

के नेता आनंद दिघे ने 1980 में उठाया था और इसे 700 साल पुराना हिंदू मंदिर बताया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जनवरी) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र की मोदी सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप स्वीकार नहीं है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में अपने लिखित बयान में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इसे अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह विश्वविद्यालय शुरू से ही राष्ट्रीय महत्व का रहा है, जिसकी पुष्टि 1875 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के दस्तावेजों और संसद द्वारा बनाए गए अन्य कानूनों से भी होती है। उन्होंने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का नहीं हो सकता, क्योंकि इसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप कई वर्षों से विवादों में घिरा हुआ है। 1967 में अजीज पाशा बनाम भारत सरकार के मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि क्योंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। उल्लेखनीय है कि 1981 में संसद में पारित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम को मंजूर किया गया था, मगर इसे जनवरी 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। तब इस फैसले के खिलाफ केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। अभी यह मामला अदालत में विचाराधीन है।

दूसरे निकाह के बावजूद तलाकशुदा पत्नी पूर्व पति से गुजारा भत्ता की हकदार

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जनवरी) के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि तलाकशुदा पत्नी दूसरा निकाह करने के बावजूद अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। न्यायमूर्ति राजेश पाटिल ने अपने निर्णय में कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के तलाक से संबंधित 1986 के कानून में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यदि कोई तलाकशुदा महिला दूसरा निकाह करती है तो उसे पहले पति से मिलने वाले गुजारा भत्ते से वंचित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कानून का लक्ष्य यह है कि अगर कोई तलाकशुदा महिला दोबारा निकाह करती है तो भी वह न्यायसंगत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और तलाक लेने वाली पत्नी को कानून की धारा 3(1)(ए) के तहत यह अधिकार प्राप्त है।

इसके साथ ही अदालत ने जेएमएफसी, चिपलून और सत्र न्यायालय, रत्नागिरी के फैसलों के खिलाफ पुनरीक्षण के लिए दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की शादी 9 फरवरी

2005 को हुई थी और उनकी एक बेटी का जन्म 1 दिसंबर 2005 को हुआ था। इसके बाद वह नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया और उसकी पत्नी अपने माता-पिता के घर चली गई। बाद में महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की याचिका दायर की और पति ने अप्रैल 2008 में उसे तलाक दे दिया। निचली अदालत ने पहले तो उसकी गुजारा भत्ता की याचिका को रद्द कर दिया, लेकिन पत्नी ने इसी कानून के तहत एक नई याचिका दायर की।

इसके बाद अदालत ने पूर्व पति को बेटी के लिए गुजारा भत्ता और पत्नी को एकमुश्त धनराशि देने का निर्देश दिया। पूर्व पति ने निचली अदालत के इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी। जबकि पत्नी ने यह मांग की कि उसकी गुजारा भत्ता में वृद्धि की जाए। सत्र न्यायालय ने पत्नी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया कि पूर्व पति अपनी पूर्व पत्नी को एकमुश्त नौ लाख रुपये प्रदान करे। इस पर पति ने पुनरीक्षण की वर्तमान याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील शाहीन कपाड़िया ने अदालत में यह दलील दी थी कि दूसरी शादी करने के बाद पत्नी अपने पहले पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। गुजारे की धनराशि वह अपने वर्तमान पति से ही प्राप्त कर सकती है। अदालत ने कहा कि कानून की धारा 3(1)(ए) में इस तरह की शर्त का कोई उल्लेख नहीं है। इस कानून का लक्ष्य तलाकशुदा महिला को गरीबी से बचाना और उसके लिए इज्जत भरा जीवन गुजारने की व्यवस्था करना है, भले ही उसने दूसरी शादी की हो।

गौरतलब है कि शरिया कानून के अनुसार इद्दत (पति के मरने या तलाक देने के बाद की वह अवधि जिसमें मुस्लिम महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती) की अवधि के बाद पूर्व पति पर इस बात की अनिवार्यता नहीं है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता दे। अगर पत्नी बिना पति की अनुमति के अपने माता-पिता के घर इद्दत की अवधि गुजार रही है तो उसे गुजारा भत्ता देने की जिम्मेवारी उसके पूर्व पति पर नहीं होती है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने शरिया विरोधी और इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि जब कोई महिला अपने पति से तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेती है तो वह पहले पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार कैसे हो सकती है?

मुंबई उर्दू न्यूज (8 जनवरी) ने अपने संपादकीय में इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि अदालत का यह फैसला शरिया और भारतीय परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि यह एक तरह का मजाक है। इस्लाम के अनुसार यदि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और इद्दत की अवधि गुजर जाती है तो उसका अपनी पूर्व पत्नी से कोई संबंध नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में उसे पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए जिम्मेवार कैसे ठहराया जा सकता है? इस्लाम के अनुसार यदि कोई महिला तलाक लेने के बाद दूसरा निकाह कर लेती है तो उसके गुजारे के

लिए उसका वर्तमान पति ही जिम्मेवार होता है। अदालत का यह मानना कि उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। क्या यह उसके पूर्व पति पर जुल्म नहीं है? समाचारपत्र ने इस बात की आलोचना की है कि भारतीय अदालतें ऐसे फैसले ले रही हैं, जो इस्लाम और शरिया के अनुरूप नहीं होती हैं। इस तरह के संवदेनशील फैसले सुनाने से पहले अदालत को संबंधित धर्म के विद्वानों से जरूर सलाह-मश्वरा कर लेना चाहिए, ताकि धार्मिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो और मजहबी मामलों में अदालत अनुचित हस्तक्षेप करने की दोषी न ठहराई जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 दिसंबर) के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस्लामी कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह का अधिकार है, मगर उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना होगा। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो यह क्रूरता के दायरे में आएगा। उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बहाल कर दिया, जिसमें उत्पीड़न के आधार पर पहली पत्नी के पक्ष में तलाक का हुक्मनामा मंजूर किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस बात का नोटिस लिया है कि पति और उसके परिवारजनों ने पहली पत्नी को प्रताड़ित किया था और गर्भवती होने के बाद भी उसका उचित इलाज नहीं करवाया। इससे तंग आकर पहली पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया और बाद में उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और वह दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति ने अपनी पहली और दूसरी पत्नी के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया। जबकि इस्लामी कानून के तहत ऐसा करना जरूरी है।

हज के लिए पौने दो लाख यात्रियों का कोटा तय

मुंबई उर्दू न्यूज (9 जनवरी) के अनुसार 2024 की हज यात्रा के लिए भारतीय हाजियों का कोटा पौने दो लाख तय किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा एक लाख 40 हजार लोगों को हज के लिए सऊदी अरब भेजा जाएगा। जबकि 35 हजार हाजी निजी ऑपरेटरों द्वारा भेजे जाएंगे। इस संबंध में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने सऊदी अरब

के नगर जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉ. तौफीक बिन फौजान अल-राबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बाद में, इन दोनों भारतीय मंत्रियों ने हज यात्रियों की व्यवस्था की निगरानी के लिए जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हज टर्मिनल का दौरा किया। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी और मुरलीधरन जेद्दा में आयोजित हज और उमरा सम्मेलन में भाग लेने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर है। सऊदी अरब में हुए इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों सहित हज से जुड़े विभिन्न संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।

सियासत (9 जनवरी) के अनुसार ये दोनों भारतीय मंत्री जेद्दा से मेट्रो ट्रेन के जरिए मदीना पहुंचे। यहां के रेलवे स्टेशन पर सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने इन दोनों का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ये दोनों मंत्री मस्जिद-ए-नबवी की यात्रा पर गए। यहां पर उन्हें आब-ए-जमजम भी पेश किया गया। इस अवसर पर सऊदी अरब स्थित भारतीय राजदूत डॉ. सुहेल अजाज खान ने इन दोनों मंत्रियों को सऊदी अरब के तीन पवित्र स्थानों के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। स्मृति ईरानी ने सऊदी सरकार द्वारा भारतीय हज यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का भी बारिकी से अध्ययन किया। वह उन होटलों में भी गई, जिनमें भारतीय हज यात्रियों के रहने की व्यवस्था की गई है। उनके साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लियाकत अली आफाकी, संयुक्त सचिव (हज) सी.पी.एस. बख्शी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार निरुपमा कोटरू और विदेश मंत्रालय के अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इच्छुक हज यात्रियों का चयन 22 जनवरी तक लॉटरी के जरिए किया जाएगा, ताकि हज यात्रियों के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जा सके।

उर्दू टाइम्स (14 जनवरी) के अनुसार स्मृति ईरानी ने मदीना में मस्जिद-ए-नबवी, जबल उहुद (माउंट उहुद) और मुसलमानों की पहली मस्जिद के नाम से विख्यात मस्जिद-ए-कुबा की भी यात्रा की। उन्होंने इस यात्रा के लिए सऊदी अरब सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका यह दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते हुए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है।

पाकिस्तान समर्थक तहरीक–ए–हुर्रियत पर प्रतिबंध

मुंबई उर्दू न्यूज (1 जनवरी) के अनुसार केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के उन्मूलन के लिए निरंतर कार्रवाई कर रही है। अब भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दी है। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों में भाग लेने के कारण इस संगठन पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करके वहां पर इस्लामी शासन स्थापित करने की

गतिविधियों में लिप्त था। यह संगठन जम्मू-कश्मीर में पृथकतावाद को प्रोत्साहन देने में भी जुटा हुआ था और इससे संबंधित लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है।

इससे पूर्व गृह मंत्रालय एक अन्य पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठन मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट) पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। यह पाबंदी पांच वर्षों के लिए लगाई गई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत की नींव सैयद अली शाह गिलानी ने 2004 में रखी थी। तब गिलानी जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने का अभियान खुलेआम चलाया करता था। 2021 में गिलानी का निधन हो गया था। इसके बाद यह संगठन लगभग निष्क्रिय हो गया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद भारत सरकार ने पृथकतावादी संगठनों, उनके नेताओं और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस समय दर्जनों पृथकतावादी नेता देश की विभिन्न जेलों में बंद हैं।

बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा

सियासत (9 जनवरी) के अनुसार 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात लोगों की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पूर्व रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों को यह निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दें। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि गुजरात सरकार ने 10 अगस्त 2022 को इस केस के आरोपियों को उनकी सजा की अवधि पूरी होने से पहले ही रिहा करने का जो फैसला किया था, वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अतः शेष सजा की अवधि को माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया जाता है। खंडपीठ ने कहा कि इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए सजा माफी पर फैसला करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का ही बनता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने 13 मई 2022 को जो आदेश जारी किया था उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि अदालत को अंधेरे में रखकर इस फैसले को प्राप्त किया गया था। गौरतलब है कि गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर इस पीठ ने 11 आरोपियों की सजा की

शेष अवधि को माफ करने के फैसले को उचित बताया था।

बता दें कि गुजरात सरकार ने सजा माफी की नीति के तहत इन आरोपियों को 15 अगस्त 2022 को गोधरा जेल से रिहा कर दिया था। राज्य सरकार के इस फैसले पर काफी विवाद खड़ा हुआ था। बाद में बिलकिस बानो और कुछ अन्य लोगों ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की तत्कालीन खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद पिछले साल के 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसकी घोषणा अब की गई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 जनवरी) के अनुसार बिलकिस बानो केस के 11 आरोपियों में से नौ लापता हो गए हैं। उनके परिवारजनों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वे कहां गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद जब मीडियाकर्मी इन आरोपियों के घरों पर पहुंचे तो वहां पर ताले लगे हुए थे।

अदालत के इस फैसले के बाद उर्दू अखबारों ने इस मुद्दे को लेकर बाकायदा अभियान छेड़ दिया है। मुस्लिम नेता मौलाना महमूद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा ने इसे न्याय और बिलकिस बानो के संघर्ष की जीत बताया है। सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला स्वागत योग्य है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 जनवरी) ने अपने संपादकीय में इस फैसले को न्याय और कानून की सर्वोच्चता की संज्ञा दी है और कहा है कि उम्रकैद पाने वाले आरोपियों को कम-से-कम 14 साल कैद में गुजारने पड़ते हैं और उसके बाद ही उनके मामले पर पुनर्विचार किया जाता है। आरोप की गंभीरता, जेल में आरोपी के व्यवहार आदि के आधार पर आरोपी की सजा पर पुनर्विचार किया जाता है।

इत्तेमाद (9 जनवरी) ने अपने संपादकीय में इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साबित कर दिया है कि न्याय अभी जिंदा है। अदालत ने राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन आरोपियों को समय से पूर्व रिहा करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और गुजरात सरकार से मांग की है कि वे बिलकिस बानो से माफी मांगें। उन्होंने कहा है कि गुजरात की भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार आरोपियों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। गुजरात सरकार ने उन्हें रिहा करने में पूरी सहायता की और विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्हें रिहा कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला गुजरात सरकार के मुंह पर एक तमाचा है और इससे आशा की एक नई किरण पैदा हुई है। आशा है कि इस फैसले से वे सरकारें भी सबक लेंगी, जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं।

इंकलाब (9 जनवरी) ने इसे नए इतिहास का निर्माण करने वाला फैसला बताया है और कहा है कि इससे न्यायपालिका की साख में बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले ने धार्मिक आधार पर फैसला लेने वाली सरकारों को नए सिरे से सोचने का संदेश दिया है। वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय का एक साहसपूर्ण कदम बताया है।

रोजनामा सहारा (9 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस फैसले ने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता को पुनर्स्थापित किया है।

विश्व

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर मालदीव के तीन मंत्री निलंबित

सियासत (8 जनवरी) के अनुसार मालदीव सरकार ने अपने उन तीन उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है, जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। उनकी इन टिप्पणियों के चलते हंगामा पैदा हो गया था। इसके बाद इन टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए कई भारतीयों ने अपने मालदीव दौरे को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। गौरतलब है कि मालदीव के इन उप मंत्रियों ने नरेन्द्र मोदी को 'जोकर' और 'इजरायल की कठपुतली' करार दिया था। मालदीव सरकार के बयान के अनुसार तीन मंत्रियों मरियम शिउना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद को मंत्रिमंडल से निलंबित कर दिया गया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रसारित किए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने लक्षद्वीप को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल करार दिया था। इससे विचलित होकर मालदीव के इन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। जब हंगामा बढ़ा तो पहले तो मालदीव सरकार ने इन टिप्पणियों से यह कहकर खुद को अलग कर लिया कि यह सरकार की नहीं, बल्कि इन मंत्रियों की व्यक्तिगत राय है। हालांकि, मालदीव के कई विपक्षी नेताओं और पूर्व राष्ट्रपतियों ने इन टिप्पणियों की निंदा की थी और कहा था कि इससे दोनों देशों के बीच नकारात्मक संबंध विकसित होंगे और नफरत का वातावरण बनेगा। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इन मंत्रियों की टिप्पणियों को खेदजनक करार दिया था और सरकार से यह मांग की थी कि वह इन टिप्पणियों पर अपना स्पष्टीकरण दे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (8 जनवरी) के अनुसार मालदीव नेशनल पार्टी ने इन मंत्रियों के बयानों की निंदा की थी और यह मांग की थी कि

सरकार को इन मंत्रियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।

रोजनामा सहारा (8 जनवरी) के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन मंत्रियों की टिप्पणियों पर घोर आपत्ति की थी और माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इस संबंध में विधिवत आपत्ति दर्ज करके दोषी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। जब हर तरफ से इन टिप्पणियों की निंदा की गई तो एक मंत्री मरियम शिउना ने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया। इसके बाद मालदीव की सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि मालदीव सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेशी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से अवगत है। यह इन मंत्रियों की व्यक्तिगत राय है और इससे सरकार की नीति का कोई संबंध नहीं है। बयान में यह भी कहा गया था कि सरकार की यह राय है कि अभिव्यक्ति की आजादी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कोई ऐसी राय व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, जिससे किसी पड़ोसी देश के खिलाफ घृणात्मक भावना पैदा हो।

सियासत (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि एक छोटे से देश ने बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने फौरी तौर पर भारत के गुस्से को ठंडा करते हुए इन दोषी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निलंबित कर दिया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहीब को तलब किया था। सरकारी अधिकारियों और उनके बीच क्या बातचीत हुई इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, मगर माले में भारत के उच्चायुक्त ने इस संबंध में मालदीव के विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारियों से बातचीत की थी। हालांकि, भारतीय उच्चायुक्त ने यह सफाई दी थी कि मालदीव के अधिकारियों से हुई मुलाकात का इस विवाद से कोई संबंध नहीं है और उनकी मुलाकात पहले से ही तय थी। मीडिया ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय उच्चायुक्त ने इस मुलाकात में मालदीव के तीनों मंत्रियों के बयानों की ओर मालदीव सरकार का ध्यान दिलाया था और इन बयानों पर अप्रसन्नता भी प्रकट की थी। भारत और उसके पड़ोसी देश मालदीव के संबंधों में आए तनाव के बारे में विश्लेषकों का अनुमान है कि इससे मालदीव की अर्थव्यस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का विशेष योगदान है। इन पर्यटकों से मालदीव को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

इत्तेमाद (11 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकारें बदलती हैं तो नीतियां भी बदल जाती हैं। मालदीव में पिछले साल सत्ता में आए राष्ट्रपति का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कुछ मंत्रियों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जो विवादित बयान दिए हैं उसके चलते दोनों देशों के बीच का मामला उलझ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है और रिपोर्ट आने तक इन तीनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निलंबित कर दिया है। यह हकीकत है कि वर्तमान सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनका झुकाव चीन की तरफ है और ये भारत को पसंद नहीं करते हैं। ये टिप्पणियां भी ऐसे ही तत्वों की हरकत है। ऐसा प्रतीत होता है कि नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार चीन और भारत दोनों

के बीच संतुलन बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था इन दोनों देशों पर ही निर्भर है। चुनाव में जीत के बाद नए राष्ट्रपति मुइज्जू ने यह घोषणा की थी कि वे अपने देश से भारतीय सैन्य दस्ते को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा गर्म हो गई थी कि नए राष्ट्रपति का झुकाव चीन की ओर है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया था और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का उल्लेख सोशल मीडिया पर किया था। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने इससे यह अनुमान लगाया कि अब भारत का इरादा लक्षद्वीप को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का है और उसकी नीति से मालदीव के पर्यटन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

गौरतलब है कि 2021 में 2 लाख 91 हजार भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया था और 2022 में यह संख्या दो लाख 41 हजार थी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा है कि विदेशी नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियां उन्हें स्वीकार नहीं है। बता दें कि लक्षद्वीप केरल के तट से केवल 300 किलोमीटर दूर है। यह द्वीप समूह पर्यटन की दृष्टि से काफी आकर्षक है। मालदीव सरकार का मानना है कि भारत सरकार इसे पर्यटकों के लिए मालदीव के विकल्प के तौर पर विकसित करना चाहती है।

रोजनामा सहारा (9 जनवरी) ने मालदीव के राष्ट्रपति को यह चेतावनी दी है कि वे श्रीलंका के हालात से सबक लें, क्योंकि जब कोई देश चीन को अपना दोस्त बना लेता है तो उसे किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि भारत एक परखा हुआ देश है। 1988 में कुछ शरारती तत्वों ने तमिल टाइगर्स की सहायता से मालदीव की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तबाह करके वहां की सत्ता को संभालने का प्रयास किया था। तब मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम के अनुरोध पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को मालदीव भेजा था।

समाचारपत्र का कहना है कि मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति चीन के मकड़जाल में फंस रहे हैं और उन्होंने सत्ता संभालते ही भारतीय सैन्य दस्ते को मालदीव से वापस भेजने की रट लगानी शुरू कर दी थी। मोहम्मद मुइज्जू ने सत्ता संभालते ही पुरानी परंपराओं को ताक पर रख दिया और सबसे पहले भारत आने के बजाय वे तुर्किये के दौरे पर चले गए। इसके बाद उन्होंने चीन का रूख किया। क्या यह केवल एक संयोग था? इसके बाद तीन मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री पर जो अशोभनीय टिप्पणियां कीं, क्या वह भी संयोग था? मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वहां पर जाने वाले भारतीय पर्यटक हैं। 2023 में दो लाख के लगभग भारतीय पर्यटक मालदीव गए थे। इससे साफ है कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ने से मालदीव को ही नुकसान होगा।

शेख हसीना पांचवीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री निर्वाचित

हमारा समाज (9 जनवरी) के अनुसार बांग्लादेश के विवादित आम चुनाव में जीत के बाद बांग्लादेश अवामी लीग सत्ता में आ गई है और उसकी नेता शेख हसीना ने पांचवीं बार देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाल ली है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग के अनुसार अवामी लीग और उसके सहयोगियों ने संसद की 300 सीटों में से 223 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि 63 निर्दलीय उम्मीदवार सफल हुए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार जिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने इन चुनावों में सफलता प्राप्त की है उनका संबंध पहले अवामी लीग से रहा है। इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, इसलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थे। शेख हसीना ने उन्हें यह निर्देश दिया था कि वे डमी उम्मीदवार के रूप में खड़े हों, ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में हुए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में सिर्फ 40 प्रतिशत मतदान हुए हैं। मतदान के दौरान अधिकांश मतदान केंद्र सुनसान दिखाई दिए।

गौरतलब है कि बांग्लादेश के दो प्रमुख विपक्षी दलों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शेख हसीना शुरू से ही चुनावी धांधली करके सत्ता में आती रही हैं। इस बार का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने विपक्षी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया अपने कई साथियों सहित जेल में बंद हैं। इसके साथ ही सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा रखा है और उसके कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दिया है।

सियासत (9 जनवरी) के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने बांग्लादेश में हुए चुनावों में 70 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज करके सत्ता में आ गई है। देश भर के 42 हजार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मत डाले। बांग्लादेशी मीडिया ने कई विदेशी पर्यवेक्षकों के बयानों को भी प्रकाशित किया है, जिन्होंने इन चुनावों को निष्पक्ष, न्याय संगत और शांतिपूर्ण करार दिया है। बांगलादेश के मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ से अधिक बताई जाती है। वहीं, शेख हसीना 2009 से सत्ता में हैं।

सियासत (8 जनवरी) के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने परिवार सहित ढाका स्थित सिटी कॉलेज के मतदान केंद्र में मतदान किया। इस दौरान संवाददाताओं को बताया कि बांग्लादेश एक आजाद देश है और यहां की जनता मेरी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते मुझे आशा है कि बांग्लादेश की जनता उन्हें फिर से सत्ता में लाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी विदेशी के सामने यह सफाई देने की जरूरत नहीं है कि ये चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की जनता हकीकत को जानती है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में मतदान छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच हुए। कई मतदान केंद्रों को आग के हवाले कर दिया गया और अनेक वाहनों को फूंक डाला गया। एक गाड़ी को आग लगाए जाने के कारण उसमें सवार चार लोग जलकर मर गए। सरकार का दावा है कि यह हरकत विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने की है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश का यह 12वां आम चुनाव है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के अनुसार इस बार के चुनाव में दो हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 436 निर्दलीय शामिल हैं।

रोजनामा सहारा (8 जनवरी) के अनुसार बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने भारत सहित अनेक विदेशी पर्यवेक्षकों को वहां पर होने वाले चुनाव को देखने के लिए निमंत्रण दिया था, ताकि दुनिया इन चुनावों पर किसी तरह की उंगली न उठा सके। शेख हसीना ने कहा है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में लोकतंत्र बरकरार रहे, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। बांग्लादेश में इसलिए विकास हुआ है, क्योंकि यहां का लोकतंत्र मजबूत आधारों पर टिका हुआ है। शेख हसीना गोपालगंज-3 क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। बांग्लादेश न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 1986 के बाद से आठवीं बार उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने यह चुनाव 2 लाख 49 हजार 865 मतों के अंतर से जीता है। जबकि उनके विरोधी उम्मीदवार बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के एम. निजामुद्दीन लस्कर को केवल 469 मत ही मिले हैं।

इंकलाब (10 जनवरी) के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन ने यह आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता से नहीं हुए हैं, क्योंकि इन चुनावों में देश की बड़ी विपक्षी पार्टियों ने भाग नहीं लिया है।

इंकलाब (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह चुनाव एकपक्षीय रहे हैं और जनता ने इनमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। इन चुनावों में सिर्फ 40 प्रतिशत ही मतदान हुए हैं। मतदान केंद्रों के जो चित्र प्रकाशित हुए हैं उनसे साफ है कि मतदान केंद्र सुनसान पड़े हुए थे। निश्चित रूप से यह स्थिति विपक्षी दलों द्वारा मतदान के बहिष्कार के कारण पैदा हुई है और इससे यह भी साफ हो गया है कि बांग्लादेश की अधिकांश जनता शेख हसीना के साथ नहीं है। सत्ताधारी पार्टी ने विपक्षी दलों के नेताओं को विश्वास में नहीं लिया। उल्टा उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। शेख हसीना को लोकतंत्र के

बजाय अपनी सत्ता की ज्यादा फिक्र है और उनके इस वक्तव्य से साफ है कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि दुनिया क्या कहती है। उन्हें सिर्फ बांग्लादेश की जनता की चिंता है।

इत्तेमाद (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में इन चुनावों की आलोचना करते हुए कहा है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने दो तिहाई सीटों पर सफलता प्राप्त की है। जबकि सभी विपक्षी दलों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया था। अमेरिका ने इसे अलोकतांत्रिक चुनाव बताया है। जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि बांग्लादेश में हुए चुनावों को चुनाव की संज्ञा देना ही सरासर गलत है। बांग्लादेश के सभी विपक्षी दलों ने यह मांग की थी कि शेख हसीना अपने पद से त्यागपत्र दें और देश में एक राष्ट्रीय सरकार की निगरानी में चुनाव कराए जाएं, जिसे शेख हसीना ने स्वीकार नहीं किया। इसके उलट उन्होंने विपक्ष के सैकड़ों नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी। बांग्लादेश चुनाव आयोग में 44 पार्टियां पंजीकृत हैं। इनमें से केवल 28 पार्टियों ने इन चुनावों में भाग लिया है और केवल दो पार्टियों ने ही चुनावों में कुछ सीटें जीती हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए शेख हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही निर्दलीय और विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के रूप में खड़ा करके यह दिखाने का प्रयास किया कि ये चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। इससे साफ है कि शेख हसीना हर हथकंडे का इस्तेमाल करके सत्ता में बने रहना चाहती हैं।

डेनमार्क में हमास की खूनी साजिश विफल

मुंबई उर्दू न्यूज (14 जनवरी) के अनुसार डेनमार्क पुलिस ने यह दावा किया है कि दिसंबर महीने में यूरोप में यहूदियों और अमेरिका समर्थकों की खून की होली खेलने की साजिश रचने के सिलसिले में जिन सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था उनका संबंध हमास से है। कोपेनहेगन की एक अदालत में सरकारी वकील ने इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि इस हमले की साजिश हमास ने रची थी। सरकारी वकील ने कहा कि हालांकि मैं सरकार के निर्देश पर इस संबंध में पूरा विवरण जनता के सामने पेश करना उचित नहीं समझता, क्योंकि यह गोपनीय मामला है, मगर यह साफ है कि यह साजिश इजरायली हमले का बदला लेने के लिए इस्लामी आतंकी संगठन हमास ने रची थी।

गौरतलब है कि इस संबंध में डेनमार्क पुलिस ने तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए थे। बाद में यूरोप के अन्य देशों में मारे गए छापों में इस गिरोह से संबंधित

चार अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था। डेनमार्क के न्याय मंत्री ने कहा कि हालांकि आतंकवाद का खतरा हमारे लिए बहुत गंभीर है, मगर सौभाग्य से हमारे पास डच गुप्तचर तंत्र और चौकसी पुलिस मौजूद है, जो आतंकियों के मंसूबे को विफल बना देती है।

उर्दू टाइम्स (15 जनवरी) के अनुसार इजरायल ने यह दावा किया है कि हमास स्वीडन स्थित उसके दूतावास पर हमला करने की योजना बना रहा है। हमास यूरोप में अपनी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि कर रहा है। हाल ही में डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन में हमास से संबंधित आतंकियों का एक गिरोह पकड़ा गया है, जिनके पास से विदेशी स्रोतों से प्राप्त धनराशि, अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इजरायल का यह भी दावा है कि इस गिरोह का पता लगाने में इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद का भी योगदान है। मोसाद का दावा है कि इस हमले की योजना लेबनान स्थित हमास के नेतृत्व ने तैयार की थी और दो दर्जन से अधिक हमास के आतंकियों को इस हमले को अंजाम देने के उद्देश्य से इन यूरोपीय देशों में गुप्त रूप से भेजा था।

अमेरिकी अखबार **वॉयस ऑफ अमेरिका** (18 दिसंबर) के अनुसार डेनमार्क पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े हुए तीन लोगों को डेनमार्क से और एक को नीदरलैंड से हिरासत में लिया था। बाद में इस गिरोह से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर यूरोप के अनेक देशों में छापे मारे गए थे, जिसमें दो दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनके कब्जे से विदेशी स्रोतों से प्राप्त भारी धनराशि, अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे। इस गिरोह ने यूरोप के एक दर्जन देशों में यहूदियों और अमेरिकी दूतावासों को अपना निशाना बनाने की योजना बनाई थी, जिसे गुप्तचर सूत्रों ने विफल बना दिया है।

चीन से वापसी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने दिखाया अपना असली रंग

मुंबई उर्दू न्यूज (15 जनवरी) के अनुसार चीन के दौरे से वापसी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को यह अल्टीमेटम दिया है कि वह 15 मार्च तक मालदीव से भारतीय सैन्य दस्ते को हटा ले, ताकि दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध बरकरार रह सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय भारत के 88 सैनिक माले में हैं, जो भारत द्वारा मालदीव को दिए गए डोर्नियर विमान और हेलीकॉप्टरों का संचालन व प्रबंधन करते हैं। चीन से वापसी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति का स्वर काफी तीखा हो गया है। 13 जनवरी को माले में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन हमारा छोटा होना किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं देता है।

'सन ऑनलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक पॉलिसी मामले पर राष्ट्रपति के प्रधान सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने संवाददाताओं को बताया कि भारत को बाकायदा यह संदेश

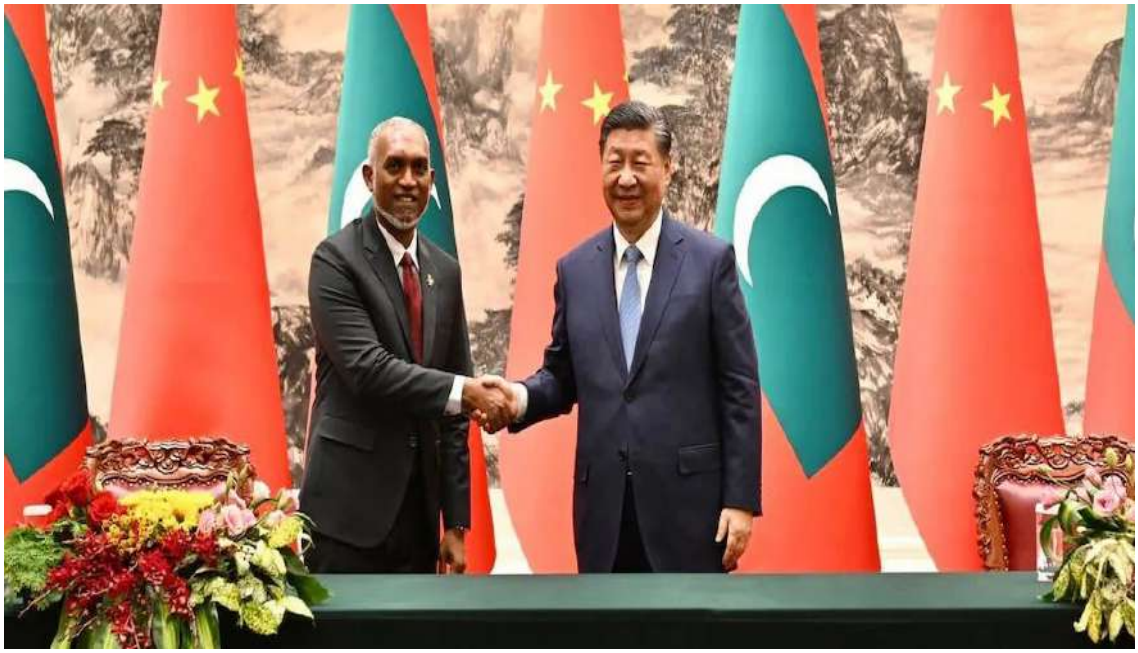

दिया गया है कि वह 15 मार्च तक किसी भी हाल में अपने सैन्य दस्ते को वापस बुला ले। नई सरकार की नीति के अनुसार कोई भी विदेशी सैनिक मालदीव में नहीं रह सकता है। इब्राहिम ने यह भी दावा किया कि इन सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया तय करने के लिए दोनों देशों के बीच एक कोर ग्रुप बनाया गया है। इसका पहला अधिवेशन माले में हो चुका है, जिसमें दोनों देशों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया था। इसमें भारत की ओर से माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त शामिल हुए थे। इब्राहिम ने कहा कि इस बैठक में यह तय किया गया है कि निर्धारित अवधि में भारतीय सैन्य दस्ते को माले से वापस भारत बुला लिया जाए।

इत्तेमाद (12 जनवरी) के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन का पहला सरकारी दौरा किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने पर सहमति प्रकट की गई है। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच 20 नए समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। समाचारपत्रों के अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने चुनावी अभियान में भारत को मालदीव की आजादी और संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। दूसरी ओर, चीन की राजधानी बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मालदीव के राष्ट्रपति को अपना पुराना दोस्त करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन सामरिक सहयोग का पालन करते हुए मालदीव में और अधिक मात्रा में पूंजी निवेश करेगा। हालांकि, इस समय भी मालदीव चीनी कर्ज के चंगुल में फंसा हुआ है, जिसमें अब और भी वृद्धि की जा रही है। वहीं, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में चीन की सकारात्मक भूमिका के लिए उसे धन्यवाद दिया है।

वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस समय मालदीव एक अरब 37 करोड़ डॉलर के चीनी कर्जे में दबा हुआ है, जो उसके कुल कर्ज का 20 प्रतिशत है। मालदीव पर पहले से ही सऊदी अरब और भारत का सवा बारह अरब डॉलर का कर्ज है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टिट्यूट के आंकड़ों के अनुसार 'बेल्ट एंड रोड़

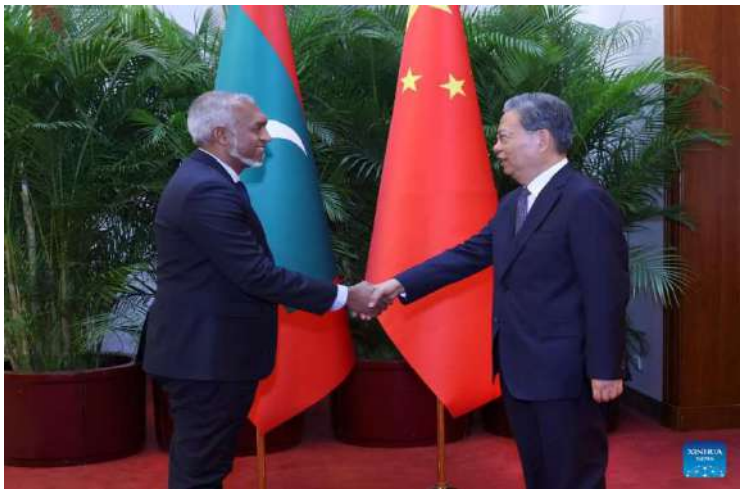

इनिशिएटिव' के तहत 2014 में चीनी फर्मों ने मालदीव में एक अरब 37 करोड़ डॉलर का पूंजी निवेश किया है। चीन के राष्ट्रपति ने इस संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह भी दावा किया कि चीन मालदीव की संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संरक्षण का भरपूर समर्थन करता है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने भी मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति के चीन दौरे से दोनों देशों के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों में और भी बढ़ोतरी होगी।

रोजनामा सहारा (13 जनवरी) के अनुसार चीन के सरकारी प्रसारण संस्थान 'सीसीटीवी' के प्रसारण में कहा गया है कि चीन प्राथमिकता के आधार पर मालदीव को विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इनमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, चिकित्सा, रोजगार, ऊर्जा के नए संसाधनों का विकास, कृषि और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण आदि शामिल है।

रोजनामा सहारा (15 जनवरी) के अनुसार चीन से वापसी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैन्य दस्तों की वापसी के मामले को जोरदार ढंग से उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को मालदीव की लोकतांत्रिक इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुला लेना चाहिए। अगर भारत अपने सैन्य दस्ते को वापस नहीं बुलाता है तो यह हमारी लोकतांत्रिक इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। यह संविधान को नजरअंदाज करने और लोकतंत्र के भविष्य को खतरे में डालने के बराबर होगा। मालदीव की जनता किसी विदेशी सेना को अपनी भूमि पर नहीं देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना हमारे देश में किसी विदेशी सेना की मौजूदगी संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। इस समस्या का समाधान भारत से बातचीत के जरिए ही निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत हमारे नजदीकी दोस्तों में से एक है, जिससे हमारी परंपरा और सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, पूंजी निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में संबंध बढ़ रहे हैं। हम किसी देश के विरोधी या समर्थक नहीं हैं। हम वही नीति अपनाएंगे जो मालदीव की जनता के हित में होगा।

गौरतलब है कि वर्तमान राष्ट्रपति ने हाल ही में मालदीव और भारत के बीच हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को भी रद्द कर दिया था, जिसके तहत भारत को मालदीव के जल क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और सागर की लहरों का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की अनुमति दी गई थी। मालदीव के राष्ट्रपति ने इस समझौते का नवीनीकरण करने से इंकार कर दिया है। इसका कारण यह बताया गया है कि मालदीव की अपनी हाइड्रोग्राफिक एजेंसी है, जो यह कार्य भलीभांति कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस एजेंसी के कार्य में सुधार के लिए विदेशी सहायता लेने पर भी पुनर्विचार कर सकते हैं।

हमास समर्थकों की सूचना देने पर एक करोड़ डॉलर का इनाम

रोजनामा सहारा (7 जनवरी) के अनुसार अमेरिका ने हमास के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, ताकि उसका नामोनिशान मिटाया जा सके। अमेरिका ने हमास को आर्थिक सहायता देने वाले पांच बड़े सहयोगियों के खिलाफ विश्व स्तर पर एक बड़े इनाम की घोषणा की है। अमेरिकी न्याय विभाग ने यह घोषणा की है कि हमास को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वालों के बारे में जो भी व्यक्ति किसी भी तरह की जानकारी देगा उसे एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने हमास को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले पांच प्रमुख लोगों के नामों की भी घोषणा की है, जिनमें अब्देल बासित हमजा अल हसन खैर, आमेर कमाल शरीफ अलशावा, अहमद सादु जाहलेब, वालिद मोहम्मद मुस्तफा जदल्लाह और मुहम्मद अहमद अब्द अल-दायिम नसरल्लाह शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम पहले ही इन पांचों को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। इनमें से हमजा सूडान स्थित हमास का फाइनेंसर है। उसने हमास के निवेश पोर्टफोलियो में कई कंपनियों का प्रबंधन किया है। यह व्यक्ति अब तक 20 मिलियन डॉलर हमास को दे चुका है। इसका संबंध सूडान के सत्तारूढ़ गुट से भी बताया जाता है। आमेर कमाल शरीफ अलशावा, अहमद सादु जाहलेब और वालिद मोहम्मद मुस्तफा जदल्लाह हमास के सदस्य हैं और ये लोग तुर्किये में हमास के निवेश नेटवर्क का हिस्सा हैं। वहीं, मुहम्मद अहमद अब्द अल-दायिम नसरल्लाह लंबे समय से हमास का सदस्य है और उसके ईरानी संस्थाओं से करीबी संबंध हैं। वह अब तक कई मिलियन डॉलर हमास को उपलब्ध करा चुका है। नसरल्लाह का मुख्य ठिकाना कतर है।

पश्चिम एशिया

ईरान में हुए आतंकी हमलों में 200 से अधिक लोगों की मौत

सियासत (4 जनवरी) के अनुसार ईरान के केरमान नगर में जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के समीप हुए इस्लामी आतंकी धमाके में 200 से अधिक लोग मारे गए और 190 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों की संख्या में और भी वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है। ताजा समाचारों के अनुसार मरने वालों की संख्या 250 से अधिक पहुंच चुकी है और 200 से अधिक घायल अस्पतालों में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

कौमी तंजीम (4 जनवरी) के अनुसार यह आतंकी हमला तब हुआ जब ईरान के दक्षिणी नगर केरमान की एक मस्जिद में ईरानी मिलिशया पासदारान-ए-इंकलाब के विदेशी सैन्य विभाग के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी मनाई जा रही थी। गौरतलब है कि 2020 में अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी सहित उनके कई सहयोगियों को बगदाद में मौत के घाट उतार दिया था।

सियासत (4 जनवरी) के अनुसार यह धमाका सुलेमानी के मकबरे के समीप दो ब्रीफकेस में रखे विस्फोटक पदार्थ के फटने से हुआ। जनरल सुलेमानी के 'शहादत दिवस' पर श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए यहां पर हजारों ईरानी इकट्ठे हुए थे। इस धमाके के बाद पूरे ईरान में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। केरमान के डिप्टी गवर्नर रहमान जलाली ने सरकारी संवाद समिति 'आईआरएनए' को बताया कि यह एक आतंकी हमला था।

इत्तेमाद (6 जनवरी) के अनुसार केरमान में हुए दोनों धमाकों की जिम्मेवारी सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। आईएसआईएस के प्रवक्ता ने फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' को बताया कि उनके दो आत्मघाती हमलावरों ने

इन धमाकों को अंजाम दिया है। इस विस्फोट में दोनों हमलावर मारे गए हैं। अभी तक ईरानी जांच एजेंसी इस बात का सुराग नहीं लगा पाई है कि इन हमलावरों का संबंध किस देश से था।

इत्तेमाद (6 जनवरी) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इन धमाकों का मुंहतोड़ जवाब हमारे सशस्त्र सैनिक देंगे। यह बदला कहां और कब लिया जाएगा इसका फैसला भी हमारे सैनिक ही करेंगे। ईरानी संवाद समिति 'आईआरएनए' के अनुसार ईरान के गृह मंत्री अहमद वहीदी ने कहा है कि पूरे ईरान में छापे मारकर इस धमाके से संबंधित अनेक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

अवधनामा (6 जनवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान में केरमान में हुए धमाकों की निंदा की है और इन धमाकों में मरने वालों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से ईरान इजरायल और आईएसआईएस के हमलों का शिकार हो रहा है। उसके अनेक बड़े वैज्ञानिकों की हत्या के लिए इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद को दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं, आतंकी संगठन आईएसआईएस ईरान में 100 से अधिक धमाके करने का दोषी पाया गया है।

इंकलाब (5 जनवरी) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपनी सरकार को सलाह दी है कि वह धैर्य से काम ले। ईरान अमेरिका से सीधी टक्कर लेने से किसी भी कीमत पर बचे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपनी सेना को यह सलाह दी है कि वह इजरायल के खिलाफ खुफिया गतिविधियों या सीरिया और इराक में अमेरिकी अड्डों पर प्रॉक्सी मिलिशिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को सीमित करे। हालांकि, उन्होंने केरमान में हुए धमाकों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकेत जरूर दिया है।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा हूती विद्रोहियों पर हमले तेज

इंकलाब (11 जनवरी) के अनुसार यमन में हूतियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी और ब्रिटिश बमवर्षक विमानों ने यमन की राजधानी साना, बंदरगाह हुदैदाह और सादाह नगर में स्थित एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर अंधाधुंध बमबारी की है। इन हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये हमले लाल सागर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के विभिन्न जलयानों पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले के जवाब में हैं। इन हमलों में पहली बार एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए

गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि हूतियों को कई बार चेतावनी दी गई थी कि वे जलयानों को अपना निशाना न बनाएं, मगर वे इससे बाज नहीं आए। अब हम यह स्थिति सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल-हूती का कहना है कि हम पहले से अमेरिकी एजेंटों का मुकाबला करते रहे हैं। अब फिलिस्तीनियों के लिए हम अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल से सीधे तौर पर निपटने के लिए तैयार हैं।

हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज यमन पर हमला करके दर्जनों हूती ठिकानों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिनमें अनेक लोग मारे गए हैं। ईरान ने यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों की निंदा की है और इसे यमन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है। ईरान का कहना है कि इससे युद्ध और भी भड़केगा, जिसका नतीजा आक्रामक देशों को भुगतना पड़ेगा। इन हमलों के बाद रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया है और यह दावा किया है कि इन हमलों के जरिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। रूस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, जिसमें हूतियों से यह मांग की गई थी कि वे लाल सागर में जहाजों पर हमलों को तुरंत रोकें। सऊदी अरब ने कहा है कि इन हमलों के लिए हूती दोषी हैं और वे ईरान के इशारे पर जानबूझकर युद्ध का विस्तार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले लाल सागर में जलयानों के आवागमन को अबाध रूप से जारी रखने के लिए अमेरिका ने 20 सहयोगी देशों की एक संयुक्त सैनिक कमान गठित की थी। इस कमान के गठन के बाद हूतियों के खिलाफ यह ताजा अभियान छेड़ा गया है।

इंकलाब (14 जनवरी) के अनुसार यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी का सिलसिला अब भी जारी है। अमेरिकी प्रवक्ता का कहना है कि इन हमलों में हूतियों के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमलों का यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हूती विद्रोहियों का

नामोनिशान नहीं मिट जाता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अब तक 100 से अधिक हूती सैन्य ठिकानों को इन हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि ये हमले हूती विद्रोहियों की रक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नवंबर से अब तक हूती हमलों के चलते दो हजार से अधिक जलयानों को लाल सागर में दाखिल करने की योजना को बदलना पड़ा है। वहीं, हमास ने एक बयान में यमन के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश आक्रामकता की निंदा की है और चेतावनी दी है कि इन हमलों के चलते युद्ध का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। इन हमलों के खिलाफ ईरान में अनेक स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इन हमलों के कारण विश्व बाजार में तेल की कीमतों में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यमन में हूतियों ने घोषणा की है कि हम इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। व्हाइट हाउस ने यह घोषणा की है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री यमन में हुए हमलों की निगरानी कर रहे थे।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 जनवरी) के अनुसार अमेरिका ने एक बार फिर से यमन पर हमला किया है। पेंटागन के अनुसार इन हमलों में हूतियों के रडार ठिकानों और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने साना के हवाई अड्डे पर भी हमला किया है और उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों द्वारा यमन पर हमला जारी रहेगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 जनवरी) ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिका के नेतृत्व में बने गठबंधन के हमलों के कारण हूतियों की 30 प्रतिशत युद्ध क्षमता को नष्ट कर दिया गया है। अब तक उनके खिलाफ डेढ़ सौ से अधिक गाइडेड मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है।

सियासत (15 जनवरी) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान समर्थक हूती विद्रोही आतंकवादी हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे।

इजरायली बमबारी में हमास के उप प्रमुख की मौत

उर्दू टाइम्स (5 जनवरी) के अनुसार लेबनानी मीडिया ने दावा किया है कि दक्षिणी बेरूत स्थित हमास के एक कार्यालय पर इजरायली ड्रोन हमले में हमास का उप प्रमुख सालेह अल-अरौरी मारा गया है। उसके साथ छह अन्य लोग भी मारे गए हैं। जबकि इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली सेना के जेट विमानों से दागे गए छह गाइडेड मिसाइलों ने एक भवन को निशाना बनाया, जिसमें हमास का उप प्रमुख मारा गया। एक अन्य इजरायली हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस क्षेत्र में एक ही परिवार के 14 लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर भी बमबारी की, जिसमें नौ लोग मारे गए। हमास ने अपने उप प्रमुख सालेह अल-अरौरी की इजरायली बमबारी में मारे जाने की पुष्टि की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 जनवरी) के अनुसार हमास ने इजरायल के साथ होने वाली युद्धविराम वार्ता और कैदियों की रिहाई के सिलसिले को फौरन रोकने की घोषणा की है और कहा है कि वह अपने वरिष्ठ सेनापति की हत्या का बदला लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि इजरायल हमास की पूरी लीडरशिप का सफाया करने की योजना बना चुका है और सालेह अल-अरौरी की हत्या उसी योजना का एक हिस्सा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 जनवरी) के अनुसार इजरायल ने यह दावा किया है कि उत्तरी गाजा में हमास के सभी कमांडरों का सफाया कर दिया गया है और अब हमास नेतृत्वविहीन हो गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक उच्चाधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि इजरायल ने हमास के उप प्रमुख सालेह अल-अरौरी की हत्या कर दी है। 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध में यह पहला मौका है जब हमास का इतना बड़ा सेनापति मारा गया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 जनवरी) के अनुसार लेबनान पर हुए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 'राडवान फोर्स' के तीन वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 जनवरी) के अनुसार इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक 22 हजार लोग मारे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त इजरायली सेना ने गाजा स्थित हमास के गुप्तचर मुख्यालय पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। इस मुख्यालय से इजरायल के खिलाफ हमास की सैन्य गतिविधियों का संचालन किया जाता था। इजरायली सैनिकों को इस इमारत से अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के मुख्यालय परिसर में स्थित इस्लामिक जिहाद के एक ऑपरेशन रूम को भी तबाह कर दिया गया है।

इंकलाब (4 जनवरी) के अनुसार हमास के राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानियेह ने दोहा में कहा है कि लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले में हमास के उप प्रमुख की हत्या लेबनान की संप्रभुता का हनन है और यह खुलेआम एक आतंकी कार्रवाई है। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे और इसका जबर्दस्त बदला लिया जाएगा। विभिन्न अरब संगठनों और नेताओं ने अल-अरौरी की हत्या की निंदा की है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने अपने विदेश मंत्री को यह निर्देश दिया है कि वे बेरूत पर इजरायली हमले की शिकायत संयुक्त राष्ट्र से करें।

संयुक्त अरब अमीरात इजरायल के साथ संबंध बरकरार रखेगा

इंकलाब (5 जनवरी) के अनुसार पिछले तीन महीने से गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है, मगर इसके बावजूद संयुक्त अरब अमीरात ने यह घोषणा की है कि वह इजरायल के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखेगा। संयुक्त अरब अमीरात के राजनयिक मामलों के प्रमुख

अनवर गर्गश ने दुबई में घोषणा की है कि इजरायल के साथ संबंधों का फैसला सामरिक आधार पर लिया गया था और इस तरह के फैसले जल्दी नहीं बदले जा सकते। ये लंबी अवधि के फैसले होते हैं, जो छोटे-मोटे युद्धों के कारण नहीं बदले जा सकते। उन्होंने कहा कि हालांकि इस मामले में अनेक बाधाएं आ रही हैं, लेकिन युद्ध के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच के संबंध जारी रहेंगे। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 जनवरी) के अनुसार ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस खालिद बिन बंदर अल-सऊद ने कहा है कि उनका देश गाजा के युद्ध के बावजूद इजरायल के साथ संबंधों को जारी रखने में रुचि रखता है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि एक आजाद फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बारे में जो वार्ता चल रही थी, वह इजरायल की जंग के कारण निलंबित कर दी गई थी।

गौरतलब है कि सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने 1948 में इजरायल के गठन के बाद से अब तक उसे विधिवत रूप से मान्यता नहीं दी है। हालांकि, पिछले साल सितंबर महीने के अंत में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह स्वीकार किया था कि हम इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर हमारे लिए फिलिस्तीन की समस्या भी महत्त्वपूर्ण है।

तुर्किये में इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में दर्जनों गिरफ्तार

रोजनामा सहारा (4 जनवरी) के अनुसार तुर्किये के विभिन्न नगरों के दर्जनों स्थानों पर तुर्किये के गुप्तचर विभाग ने छापे मारकर इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। तुर्किये के गृह मंत्रालय ने फिलहाल 34 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, जो इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद के एजेंट बताए जाते हैं। सरकारी सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि इस गिरोह से संबंधित अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस गिरोह के 13 प्रमुख जासूस फरार हो गए हैं। इनकी तलाश में देश भर में छापेमारी की जा रही है। तुर्किये के गृहमंत्री ने कहा है कि हम किसी भी विदेशी को अपने देश के हितों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देंगे।

रोजनामा सहारा (6 जनवरी) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने यह दावा

किया है कि देश के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई का यह सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमास और उससे संबंधित लोगों के खिलाफ तुर्किये में किसी को उंगली उठाने का कोई मौका न मिले। तुर्किये सरकार के इस दावे पर इजरायल ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। तुर्किये के गृह मंत्री ने कहा कि इस्तांबुल सहित 57 स्थानों पर छापे मारे गए हैं और इस जासूसी गिरोह के कब्जे से डेढ़ लाख यूरो सहित भारी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त इनके कब्जे से दर्जनों अवैध हथियार, जासूसी के उपकरण और डिजिटल सामग्री भी बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों की फुटेज भी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित की गई है, जिनमें जासूसों को हथकड़ी लगाई गई है और उन्हें पुलिस वाहनों में सवार दिखाया गया है। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और आतंकवाद निरोधक ब्यूरो की संयुक्त टीमों ने तुर्किये के आठ प्रदेशों में छापे मारे थे। जासूसी गिरोह अपने एजेंटों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था और धन व नौकरी का प्रलोभन देकर तुर्किये के नागरिकों को मोसाद के लिए भर्ती किया जाता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये विदेशी एजेंट झूठी खबरें फैलाकर जनता में अशांति पैदा करते थे। गौरतलब है कि तुर्किये ने 2022 में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन हाल के इजरायल-हमास युद्ध के बाद दोनों देशों में तनाव पैदा हो गया है। तुर्किये अपने यूरोपीय सहयोगियों के दृष्टिकोण के विपरीत हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता है।

अवधनामा (6 जनवरी) के अनुसार पकड़े गए संदिग्धों में फिलिस्तीन, तुर्किये, इजरायल और अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल के जुलाई महीने में भी तुर्किये की गुप्तचर विभाग ने 56 इजरायली एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिनमें 7 अरब और तुर्क भी शामिल थे।

इजरायली सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बेंजामिन नेतन्याहू को झटका

रोजनामा सहारा (5 जनवरी) के अनुसार इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा पारित एक कानून को अवैध घोषित करते हुए उसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक विवादास्पद कानून संसद से पारित करवाया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि संसद अदालत के किसी भी फैसले में हस्तक्षेप करके उसे लागू करने से रोक सकती है। इजरायल का एक बड़ा वर्ग कई महीनों से इस कानून का

विरोध कर रहा था। यहां तक कि इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी इस कानून के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। इजरायली सेना की रीढ़ की हड्डी रिजर्व फोर्स के लाखों सैनिकों ने यह घोषणा की थी कि अगर सरकार उन्हें सैन्य सेवाओं में भाग लेने के लिए तलब करती है तो वे उस निर्देश का उल्लंघन करेंगे। इस पर नेतन्याहू ने यह धमकी दी थी कि जो रिजर्व सैनिक सरकारी निर्देश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विरोधियों का कहना था कि नेतन्याहू कानून के शिकंजे से बचने के लिए यह विवादित कानून ला रहे हैं, ताकि अगर भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायालय उनके खिलाफ कोई फैसला देती है तो वे इस नए कानून की आड़ लेकर जेल जाने और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने से बच सकें।

गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई महीने में जनता के भारी विरोध के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को सीमित करने से संबंधित न्यायिक सुधार विधेयक को इजरायली संसद से पारित करवा लिया गया था। इसके पक्ष में सत्तारूढ़ गठबंधन के 64 सांसदों ने मतदान किया था। जबकि विपक्ष ने मतदान का बहिष्कार किया था। इस विधेयक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानूनों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं होगी। इजरायल के विपक्षी नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया था। इजरायली समाचारपत्र यरुशलम पोस्ट के अनुसार इजरायल की शक्तिशाली गुप्तचर एजेंसी मोसाद के वर्तमान प्रमुख सहित छह सेवानिवृत्त प्रमुखों ने इस विधेयक का विरोध किया था। मोसाद के वर्तमान निदेशक डेविड बरनिया ने कहा था कि सरकार गलत रास्ते पर जा रही है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मांग की थी कि वे अपनी जिद छोड़कर जनता से समझौते का कोई रास्ता निकालें। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी जिद के कारण नेतन्याहू इजरायल की बहादुर जनता को टुकड़ों में बांट रहे हैं। इजरायल के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा था कि संसद ने जो कानून पारित किया है उसका इजरायली सेना के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। पर्यवेक्षकों का यह भी आरोप है कि इस कानून के कारण इजरायली जनता और सेना में जो मतभेद उत्पन्न हुए थे उसका लाभ उठाकर हमास ने इजरायल पर हमला किया था।

अंग्रेजी अखबार **द हिंदू** (4 जनवरी) के अनुसार इजरायली सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला नेतन्याहू सरकार के लिए करारा झटका है, जो गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। इजरायली सर्वोच्च न्यायालय के फुल बेंच के 15 न्यायाधीशों में से 12 ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का समर्थन किया है और संसद द्वारा पारित इस कानून को इजरायल के बुनियादी कानून के खिलाफ बताया है।

रोजनामा सहारा (4 जनवरी) के अनुसार इस फैसले में कहा गया है कि यह कानून एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए संसद से पारित करवाया गया था, इसलिए यह संसद के अधिकारों का दुरुपयोग है। इजरायली सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में विपक्षी दल और पॉलिटिकल वाचडॉग ग्रुप के लोग शामिल थे। उनका कथन था कि यह संशोधन इजरायली संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

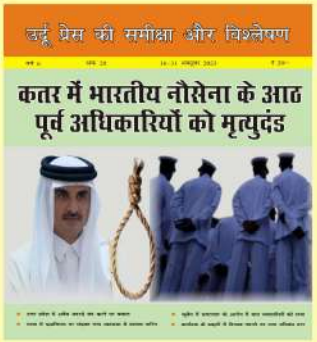

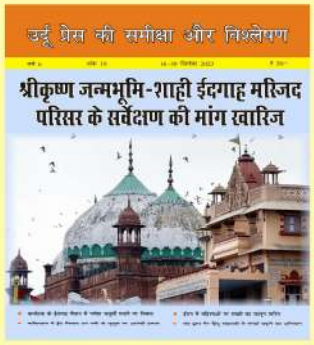

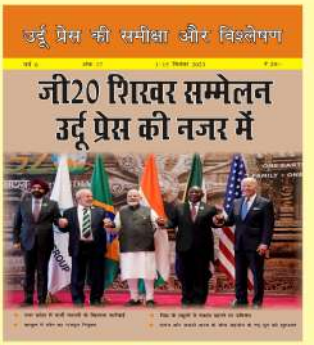

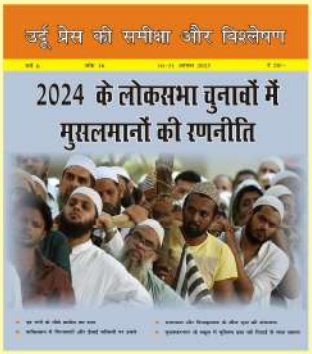

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in